यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS संख्या 2022 / 196
प्रकरण संख्या 124 / 22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

श्री गोरधनसिंह बनाम राज्य सरकार

— : : निर्णय : : —

दिनांक :—15.09.2022

1. प्रार्थी श्री गोरधनसिंह पिता गुलाबसिंह द्वारा तहसीलदार भीण्डर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि ग्राम माण्डकला के खाता संख्या 48 व 49 में दर्ज खातेदार गुमानसिंह पिता नहारसिंह का नाम अशुद्ध होकर सही नाम प्रविष्टि गुलाबसिंह पिता नाहरसिंह संशोधन किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण मे तहसीलदार भीण्डर द्वारा जांच कर बाद जांच रिपोर्ट पेश करने पर दर्ज रजिस्टर की गई। तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम माण्डकला में खाता संख्या 48, 49 में गुलाबसिंह पिता नहारसिंह सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। यह कि गुलाबसिंह पिता नाहरसिंह का देहान्त हो चूका है। जिसकी पुष्टि में आवेदको द्वारा मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र में गुलाबसिंह पिता नाहर सिंह दर्ज है। आवेदको के अनुसार उनके पिता का नाम गुमानसिंह ना होकर गुलाबसिंह है। जिसकी पुष्टि में राजस्व ग्राम माण्डकला की जामाबंदी संवत् 2078–81 में खाता संख्या 9 में दर्ज गुलाबसिंह के वारिसानो के नाम दर्ज है। आवेदक खातेदारों के अनुसार वर्तमान जमाबंदी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 48, 49 में गुमानसिंह दर्ज है जिससे वारिसान को नामांतरण में कठिनाई हो रही है। ग्राम पंचायत की रिपोर्ट भी संलग्न है जिससे गुलाबसिंह एवं गुमानसिंह को एक ही व्यक्ति माना है।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया। अतः हमारा निष्कर्ष है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माण्डकला के खाता संख्या 48 व 49 में दर्ज खातेदार गुमानसिंह पिता नहारसिंह का नाम अशुद्ध होकर सही नाम प्रविष्टि गुलाबसिंह पिता नाहरसिंह है जिसे संशोधित किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर गुमानसिंह पिता नहारसिंह का देहान्त हो चुका है जिसका मृत्यु प्रमाण प्रस्तुत किया गया जिसमें गुलाबसिंह पिता नाहरसिंह दर्ज है तथा नाम संशोधित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:58:10 IST
Reason: SelfAttested

GCMS संख्या 20...
प्रकरण संख्या ...
गोरधनसिंह बनाम राज...

पत्र के समर्थन में कार्यालय ग्राम पंचायत सिंहाड़ का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें पंचायत द्वारा यह प्रमाणित किया गया कि गुलाबसिंह पिता नाहरसिंह निवासी माण्डकला सही ना... तथा गुमानसिंह नाम का कोई व्यक्ति गांव माण्डकला में नहीं है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा माण्डकला की खाता संख्या नई 9 की जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसमें प्रार्थी के पिता का गुमानसिंह न होकर गुलाबसिंह अंकित है। प्रकरण में पटवारी हल्का के मौके पर्चे में बताया मौतबिरान, सरपंच द्वारा यह प्रमाणित किया गया की गुमानसिंह पिता नहारसिंह नाम का कोई व्य... न होकर गुलाबसिंह पिता नाहरसिंह है जिनके वारिसान के सजरे को प्रमाणित किया गया। प्र... द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में वारिसान के आधारकार्ड की प्रति प्रस्तुत की जिनमें इनके पि... का नाम गुलाबसिंह अंकित है।

4. अतः उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार भीण्डर की अनुशंषा की रिपोर्ट, ग्राम पंचायत ... सहमति प्रमाण पत्र, प्रार्थी का शपथ पत्र के आधार पर यह पाया गया की राजस्व ग्रा... माण्डकला के खाता संख्या 48, 49 में दर्ज खातेदार गुमानसिंह पिता नहारसिंह का नाम अशु... होकर सही प्रविष्टि गुलाबसिंह पिता नाहरसिंह है जिसे सुधारा जाना न्यायाहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: :आदेश: :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम क... स्वीकार किया जाता है कि मौजा माण्डकला पटवार हल्का सिंहाड तहसील भीण्डर कि जमाबंदी संवत् 2078–81 खाता संख्या 48, 49 में खातेदार गुमानसिंह पिता नहारसिंह के बजाय गुलाबसिंह पिता नाहरसिंह संशोधित किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नतीजा से सूचित होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले ईजलास आज दिनांक 15.09.2022 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:58:10 IST
Reason: SelfAttested